फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
उगमसिंह पुत्र जवारसिंह जाति राजपूत निवासी सेला तहसील बाली जिला पाली		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व विविध प्रकरण सं. GCMS No. 2025/450

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
4/8/025	प्रार्थी उगमसिंह के ग्राम सेला के खसरा नंबर 515 रकबा 0.1200 हैक्टर किस्म गै.मु. तेडिया एवं खसरा नंबर 518 रकबा 0.1400 हैक्टर किस्म गै.मु. गुआ दर्ज था लेकिन वर्तमान समय में खसरा नंबर गै.मु. सेरिया व खसरा नंबर 518 की किस्म गै.मु. बेरा दर्ज हो गयी है जो कि लिपिकीय भूल से हुई है। उक्त दोनों खसरों की क़िस्म पूर्व की भांति दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट तहसीलदार बाली से अनुशंषा सहित प्राप्त हुई। जिसके अनुसार संवत 2049–52 की खतौनी में खसरा नंबर 515 रकबा 0.1200 हैक्टर किस्म गै.मु.तेडिया एवं खसरा नंबर 518 रकबा 0.1400 हैक्टर किस्म गै.मु. गुआ दर्ज है। उपरोक्त खसरा नंबर की प्रविष्टिया संवत 1957–1960 तक की हस्तलिखित जमाबंदी खाता संख्या 141 में सही दर्ज थी। संवत 2061–64 से कम्प्यूटराईज खतौनिया बनते समय खाता संख्या 167 में लिपिकीय भूल से खसरा नंबर 515 रकबा 0.1200 हैक्टर किस्म गै.मु. तेडिया से गै.मु. सेरिया दर्ज हुई। इसी प्रकार खसरा नंबर 518 रकबा 0.1400 हैक्टर किस्म गै.मु. गुआ से गै.मु. बेरा दर्ज हुई जो अशुद्ध दर्ज हुई है तथा उपरोक्त खसरा नंबर की अशुद्ध प्रविष्टियां वर्तमान ऑनलाईन जमाबंदी में भी दर्ज हो रखी है जिसे शुद्ध किया जाने की अनुशंषा तहसीलदार बाली द्वारा की गई है। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं माफिक जांच रिपोर्ट तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का धणी के अनुरूप राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम सेला के खसरा नंबर 515 रकबा 0.1200 हैक्टर किस्म गै.मु. सेरिया से गै.मु तेडिया एंव खसरा नंबर 518 रकबा 0.1400 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा से गै.मु. गुआ की शुद्धि के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का धणी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को आदेश का भाग माना जावें। तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का धणी आदेश की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हों। सहायक कलक्टर एवं प्रदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)